

फर्टिलाइज़रः मौत की वृष्टि

- स्व. श्री वेणीशंकर मुरारजी वासु.....

अपने हाथों अपना नाश !

अं ग्रेज तो इस देश से चलते बने, लेकिन जाने से पहले विश्वविद्यालयीन शिक्षा द्वारा हज़ारों देशी अंग्रेज उन्होंने तैयार कर दिए थे । इस देश की धरती पर निरंतर अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए इनके पास एक ही उपाय था कि 'देश की प्रजा को हर तरह से बरबाद कर दो, और इसके लिये उनकी संस्कृति का सर्वनाश करो !'

यह कार्य यदि विदेशी लोग करने जायें तो यहाँ की प्रजा क्रुद्ध होकर विप्लव कर बैठेगी, इसलिए इस देश के लोगों के हाथों ही इस सर्वनाश के कार्यक्रम पर अमल करना अनिवार्य था । इसलिए देशी अंग्रेजों को तैयार किया गया । आज इन उपाधि - धारक, पश्चिम - परस्त देशी अंग्रेजों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है ।

इन देशी अंग्रेजों ने जाने-अनजाने प्राप्त हुए शैक्षिक पश्चिमी उत्तराधिकार के कारण संस्कृति के सभी क्षेत्रों के मूल पर आघात कर दिया है । मोक्षलक्ष्यी संस्कृति-वृक्ष के सभी अंगों को उन्होंने जड़ से हिला दिया है । इन शिक्षितों को शिक्षित कहा जाए या नहीं, यह भी एक प्रश्न है क्योंकि इसी तरह की उनकी पश्चिम-परस्त नीति-रीतियाँ देखने को मिलती हैं ।

श्री वेणीशंकर मुरारजी वासु इस विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं । उनका प्रत्येक विचार भिन्न-भिन्न विषयों पर आरपार प्रकाश डालता है । उदाहरणों, दलीलों और आँकड़ों से उनके प्रत्येक लेख को बल प्राप्त होता है । निश्चय ही ये लेख आध्यात्मिक भूमिका पर नहीं लिखे गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार धारण करनेवाली

आर्यावर्त की महाप्रजा के सर्वनाश के घातक और रहस्यमय शस्त्रों की पोल वे खोल देते हैं । इस रीति से आर्य महाप्रजा की महासंतों द्वारा दी हुई धर्मप्रदत्त चार पुरुषार्थों की संस्कृति की पुनः स्थापना कर इस महाप्रजा के आध्यात्मिक स्तरों को मज़बूत करने के प्रयत्न में ये लेख अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करते हैं ।

श्री वासु बताते हैं कि सांस्कृतिक तत्त्वों को पश्चिम - परस्त रहस्यमय और अनपढ़ नीति - रीति के वर्तमान वेग से भी नष्ट करने का कार्य चालू रखा जाए तो भारतीय प्रजा के सांस्कृतिक अस्तित्व की आयु शायद सौ-दो सौ वर्ष से अधिक नहीं रहेगी ।

श्री वासु की विचारधारा भारतीय प्रजा के सभी नेताओं के रूप में गिने जाने वाले सभी भाईयों तक पहुँचे तो मुझे लगता है कि उनके मस्तिष्कों में विदेशी एजेण्टों ने जो ग़लत विचार भर दिए हैं, जिनके द्वारा प्रजा के तमाम जीवनमूल्य जड़ से हिल उठे हैं, वे सब जड़-मूल से उखड़ जाएँगे और वे इस देश व समाज के उत्थान में अमूल्य योगदान देने में सक्षम होंगे ।

- पन्यास चंद्रशेखर विजय



फर्टिलाइजर: मीत की वृष्टि

हम भारतवासी भारत को कृषिप्रधान देश कहलाते हैं परंतु ऐसा गौरव महसूस करना तभी सार्थक होगा, जबकि भारत देश विश्व में सबसे श्रेष्ठ व समृद्ध खेती करता हो और विश्व में सबसे अधिक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य बढ़ानेवाला पौष्टिक अनाज पैदा करता हो ।

समृद्ध खेती के लिए मूलभूत आवश्यक साधन हमारे पास हैं; लेकिन हम लोगों ने उन साधनों की घोर उपेक्षा कर के खेती को और उसकी ओट में छिपी उच्च भावना को अधम कक्षा की बना दी है ।

❖ समृद्ध खेती के लिए मूलभूत आवश्यक साधन :

समृद्ध खेती के लिये ६ मूलभूत आवश्यक साधन हैं ।

(१) उत्तम व उपजाऊ जमीन ।

(२) जमीन की योग्य जुताई । जमीन को तीन बार जोतनी चाहिए । वह जुताई ट्रेक्टर के बजाय हल द्वारा हो यह ज्यादा इच्छनीय है । उसमें फसल की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता । ट्रेक्टर द्वारा जोतने से पैदावार का उत्पादन-खर्च बढ़ जाता है और जब तक १२५ मिलीलीटर बरसात एक साथ न हो, तब तक बुआई का काम नहीं हो सकता । जबकि हल द्वारा खेतों की जुताई की जाय तो २५ से ५० मिलीमीटर बरसात होने पर भी बुआई हो सकती है ।

(३) पर्याप्त मात्रा में गोबर से बनी हुई खाद - पर्याप्त खाद का अर्थ है, प्रति एकड़ १० बैलगाडी या ४ टन गोबर की खाद ।

(४) शुद्ध और उत्तम बीज: संकर बीज के कारण खेती का उत्पादन-खर्च बढ़ जाता है । पैदावार शायद थोड़ी बढ़े; लेकिन उसकी कडब

जानवरों के खाने लायक नहीं रहती; जिससे अधिक उत्पादन द्वारा प्राप्त अधिक आमदनी जानवरों के घासचारे की खरीदी में ही खत्म हो जाती है । संकर बीज द्वारा उत्पन्न किए अनाज में रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती । जिससे लोगों में बीमारी फैल पड़ती है । लोग दवाई उद्योग के शोषण के शिकार बनते हैं । शुद्ध बीज से उत्पन्न अनाज की रोटी तीन दिन तक खाई जा सकती है; जबकि संकर बीज-उत्पादित अन्न की रोटी १२ से २४ घंटों के अन्दर ही बिगड़ जाती है । अतः देश में उत्पादित अन्न का बिगाड़ ज्यादा होता है । इस प्रकार संकर बीज के उपयोग से लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होता है ।

(५) निश्चित समय पर आवश्यकतानुसार पानी की सिंचाई : ऐसा पानी चाहे कूँ में से बैलों द्वारा रेंहट से खींचा गया हो या नहरों का हो । उससे फसल की पैदावार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ।

(६) किसान की सूझबूझ : खेत जोतने में, खाद के बिखेरने में, बुआई करने में, सिंचाई काम में, निकम्मे पौधों को हटाने में किसान की सूझबूझ आवश्यक होती है । प्रत्येक क्रिया कब और किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी सूझबूझ किसान में जितनी ज्यादा, उतनी फसल ज्यादा होती है ।

❖ सिंचाई की योजना कृषि के लिए या उद्योगों के लिए ?

उपर निर्दिष्ट छः बातें समृद्ध खेती के मूलभूत स्तंभ हैं - उपाय हैं । लेकिन अन्य पाँच बातों की उपेक्षा करके सरकार ने देश को अन्नक्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का खर्च कर मात्र सिंचाई योजनाएँ कार्यान्वित की । सिंचाई योजनाएँ भी द्विहेतुक बनाई; एक तो उन योजनाओं द्वारा जो बाँध बनाये जाएं, उनमें से उद्योगों के लिए बिजली पैदा करना और दूसरे खेती के लिए नहरें निकालना । इस प्रकार ये योजनाएँ खेती के लिए सिंचाई की होने का दावा पेश कर, उसके साथ उद्योगों का हितसंबंध जोड़ दिया । इस प्रकार उद्योगों का हित सर्व प्रथम सिद्ध करने

के लिए, कृषि की प्रथम चार आवश्यकताओं की अनदेखी कर, सिंचाई को अधिक महत्त्व दिया गया। परिणाम स्वरूप, उद्योगों को तो बिजली प्राप्त हुई; परंतु अन्न-स्वावलंबन की बातें मात्र कोरी कल्पनाएँ ही बनी रहीं।

❖ **फर्टिलाइजर का प्रवेश :**

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुनः ऐसा लक्ष्य निश्चित किया गया कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वावलंबन सिद्ध करके ही रहेंगे। इस ध्येय की सिद्धि के लिए इस योजना में रासायनिक खाद आयात करने का और देश में भी उसके उत्पादन के लिए बड़े बड़े कारखानों की स्थापना करने का निश्चय किया गया। ऐसा निर्णय कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी उद्योगों के हितसंबंधों को कृषि के साथ संकलित कर किसान और कृषि को फर्टिलाइजर उद्योग को आश्रित - परावलंबी बना दिया गया।

अपने इन अवास्तविक निर्णयों को योग्य ठहराने के लिए और लोगों के मानस को फर्टिलाइजर अभिमुख बनाने के लिए, बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर की उपयोगिता और आवश्यकता का भारी प्रचार शुरू किया गया। जो देश फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, वे फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण अधिक अन्न-प्राप्ति करते हैं, ऐसी कपोलकल्पित बातें देश के अग्रगण्य वर्तमानपत्रों में प्रगट होने लगी। जाहिर सभाओं के मंच पर से राजद्वारी नेतागण, फर्टिलाइजर के गुणगानों से सभाओं को गुंजित करते रहे। वर्तमानपत्र बार बार फर्टिलाइजर का उपयोग करनेवाले राष्ट्र प्रति एकड़ कितना उत्पादन प्राप्त करते हैं, उनके आंकड़े प्रकाशित कर, हमारी कृषि के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक आलोचना करते हुए, अत्यंत निराशाजनक चित्र उभारने लगे, जिससे फर्टिलाइजर की आयात के लिए जो अरबों रुपये लगाए जाते हैं, उसका औचित्य सिद्ध किया जा सके।

❖ **विकृत प्रचार :**

हमारे नेताओं और वर्तमानपत्रों ने ऐसा वातावरण बना रखा है कि

मानो बैलों से खींचे जाते हल से बुआई करना, यह पीछड़ेपन की और लज्जास्पद निशानी बन गई हो; पश्चिम के देशों ने फर्टिलाइजर का उपयोग कर के भारी लाभ उठाया है। हमारे वर्तमानपत्रों में बार बार पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति हैक्टर फर्टिलाइजर के उपयोग और प्रति एकड़ अनाज के उत्पादन के आंकड़े प्रसिद्ध होते रहते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। इन आंकड़ों का यदि अभ्यास - विवेचन किया जाए तो मालूम होगा कि फर्टिलाइजर का उपयोग करने से उत्पादन अधिक होता है ऐसा दावा निराधार सिद्ध होता है वास्तव में जमीन एवं जलवायु के अनुसार वे देश सही अर्थ में कम-ज्यादा उत्पादन प्राप्त करते हैं।

देश	प्रति हैक्टर फर्टि.का उपयोग	प्रति एकड़ उत्पादन
भारत	४ किलो	३७२ किलो
केनेडा	८.६ किलो	३८० किलो
रूस	१०.५ किलो	४३६ किलो
आस्ट्रेलिया	२२.१ किलो	४३६ किलो
यु.एस.ए.	३९.६ किलो	१००८ किलो
इटाली	५५.५ किलो	८७५ किलो
स्वीडन	८३ किलो	१०६८ किलो
जेकोस्लोवेकिया	९१.६ किलो	९२४ किलो
फ्रान्स	१०८.५ किलो	९१६ किलो
डेन्मार्क	१५१.७ किलो	१३८८ किलो
नोर्वे	१७२.४ किलो	१११२ किलो
ब्रिटन	१९०.७ किलो	१२७२ किलो
पश्चिम जर्मनी	२९४.४ किलो	१०३२ किलो
जापान	२७०.२ किलो	१६३२ किलो
बेल्जियम	३७२ किलो	१३४० किलो
नेदरलैंड (होलैंड)	५४७ किलो	१३६८ किलो

इन आंकड़ों में भारत का उत्पादन सबसे कम दिखाया गया है। केनेडा में फर्टिलाइजर का उपयोग भारत की अपेक्षा दुगना है, फिर भी वहाँ भारत

की तुलना में प्रति एकड़ केवल आठ किलो अनाज की अधिक पैदावार होती है ।

पर्यावरण विषय की अग्रणी पत्रिका “डाऊन टू अर्थ” के १५-२-९७ के अंक में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक खाद का सर्वाधिक उपयोग करनेवाले देश नेदरलैंड ने रासायनिक खाद को अलविदा कहकर अब संपूर्णतया प्राकृतिक या गोबर की खाद आधारित खेती को अपनाया है ।

❖ भारत का किसान ज्यादा सयाना है :

अब इन आंकड़ों में सबसे पहले यह बात समझने की है कि भारत का किसान हमेशा मिश्र खेती करता है । अर्थात् यदि उसने खेत में मुख्यतया ज्वार या बाजरे की बुआई की हो तब एसा कहा जाता है कि उसने ज्वार - बाजरे की खेती की है । वास्तव में ऐसा नहीं होता । ज्वार या बाजरे के साथ वह मूँग, उड़द, तिल जैसे धान्य भी बोता है । एक पंक्ति ज्वार बाजरे की हो तो दूसरी पंक्ति मूँग, उड़द आदि की होती है । इस प्रकार एक एकड़ में २/३ हिस्से में ज्वार-बाजरा हो तो १/३ हिस्से में दूसरे अनाज होते हैं । परन्तु ज्वार-बाजरे की २/३ एकड़ में हुई पैदाइश को पूरे एक एकड़ की मानी गई, जिससे हमारे उपज के आंकड़े कमजोर माने गए । जबकि पश्चिम के देशों की पद्धति पूरे खेत में एक ही प्रकार का अनाज बोने की होने के कारण, उनके समुचे एकड़ में उत्पन्न हुए अनाज के आंकड़े, हमारे २/३ एकड़ में उत्पन्न अनाज की अपेक्षा ज्यादा मालूम हो, तो कोई आश्चर्य नहीं ।

हमारा किसान मिश्र कृषि करता है क्योंकि पश्चिम के किसान की अपेक्षा वह ज्यादा सयाना और ज्यादा अनुभवी है । वह जानता है कि यदि खेतों में कीटक पैदा हों तो, एक प्रकार के अनाज पर लगे कीटक, दूसरे प्रकार के अनाज पर लगते नहीं हैं । जिससे एक अनाज तो बच ही जाता है । उदाहरण के तौर पर खेतों में बाजरा और मूँग उगाये हों और दोनों में से एक को कीटक लगे तो, जिसे कीटक न लगे हों, वह अनाज बच जाता

है; जबकि मिश्र कृषि न हो तो सारी फसल खत्म हो जाए ।

❖ निम्न प्रश्नों के उत्तर कहाँ हैं ?

अब दलील के लिए उपर निर्दिष्ट तमाम आंकड़ों को सही मान भी लें, तो भी निम्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते ।

रूस की आबादी हमारी आबादी की ४० प्रतिशत ही है, जबकि उसकी जमीन हमारी जमीन से छह गुनी अधिक है । उसका अन्न - उत्पादन हमारी अपेक्षा प्रति एकड़ ६४ किलो ज्यादा हो तो वह फिर दूसरे देशों से अनाज आयात क्यों करता है ? यदि प्रकाशित आँकड़े सही हों तो रूस अनाज की निर्यात करता होता, लेकिन वैसा नहीं है । आस्ट्रेलिया रूस की अपेक्षा दुगुने फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, फिर भी उसका अन्न - उत्पादन रूस के बराबर का है । यहाँ फर्टिलाइजर का महत्त्व नहीं दिखाई पड़ता; लेकिन आस्ट्रेलिया की जमीन और जलवायु की अपेक्षा रूस की जमीन और जलवायु ज्यादा अच्छे होने के कारण वह कम फर्टिलाइजर का उपयोग करके भी आस्ट्रेलिया के बराबर का ही उत्पादन ले सकता है ।

इसी प्रकार यु. एस. ए. और फ्रान्स के आंकड़ों का अभ्यास करें, तुलना करें । फ्रान्स अमेरीका की अपेक्षा अंदाजन पौने तीन गुने फर्टिलाइजर का उपयोग करता है । फिर भी अमेरीका की तुलना में उसकी अन्न पैदाइश प्रति एकड़ ९२ किलो कम है । इसी प्रकार डेन्मार्क और हॉलैण्ड के बीच और हॉलैण्ड और बेल्जियम के बीच समान सीमाएँ हैं; फिर भी डेन्मार्क की अपेक्षा ढाई गुने फर्टिलाइजर का उपयोग कर बेल्जियम डेन्मार्क की अपेक्षा ४० किलो कम, और हॉलैण्ड ३९६ किलो ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कर २० किलो कम फसल पाता है ।

ये तमाम आंकड़े प्रमाणित करते हैं कि फर्टिलाइजर के उपयोग से ज्यादा फसल पैदा होती है ऐसा दावा बिल्कुल गलत है । उपर के आंकड़ों में फर्टिलाइजर नहीं, लेकिन जमीन की उर्वरकता और जलवायु ने ही पूरा

योगदान दिया है ।

(१९८७-८८ में भारत में प्रति हेक्टर रासायनिक खाद का उपयोग ५१ किलो था और अनाज का उत्पादन ११७३ किलो प्रति हेक्टर था । किंतु उस वर्ष के लिये अन्य देशों के रासायनिक खाद के उपयोग व अनाज के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त प्रकार से रासायनिक खाद व अनाज के उत्पादन के बीच के संबंध का विश्लेषण नहीं हो पाया है ।

यद्यपि भारत की दृष्टि से विचार करें तो १९६०-६१ में रासायनिक खाद का उपयोग प्रति हेक्टर मात्र दो किलोग्राम के आसपास था और अनाज का उत्पादन ७१० किलो था । १९८७-८८ में रासायनिक खाद का उपयोग ५१ किलो प्रति हेक्टर हुआ । अर्थात् करीब २७ वर्षों में रासायनिक खाद के उपयोग में प्रति हेक्टर २४५०% की वृद्धि हुई जबकि अनाज के प्रति हेक्टर उत्पादन में मात्र ६४% की वृद्धि हुई । यह वृद्धि भी संकर बीज के उपयोग तथा अधिक जमीन को कृषि तले लाने से हुई है । फिर भी भारत सरकार का कृषि विभाग रासायनिक खाद के गुणगान गाता रहता है और रासायनिक खाद के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ता है ऐसा जूठा प्रचार करता है । जिस भारत की धरती में १९६०-६१ में मात्र २ किलो रासायनिक खाद के उपयोग से ७१० किलो अनाज का उत्पादन किया जा सका था, उसी धरती में ११७३ किलो अनाज पाने के लिये ५१ किलो रासायनिक खाद गाढ़ दी गई । यही साबित करता है कि रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरकता का कितना नाश हुआ है ? भारत सरकार के कृषि विभाग की रचना इस देश की उर्वरक भूमि को रेगिस्तान में बदल देने के लिये की गई है !)

❖ विपथगामी अर्धदग्ध लेखक :

बम्बई के एक प्रसिद्ध साप्ताहिक ने पश्चिम के राष्ट्रों के चावल की पैदाइश के आंकड़े प्रकाशित किए हैं । लेखक-पत्रकार ने चावल कहकर

आंकड़े दिए हैं । वास्तव में ये आंकड़े भात/ शाली/ डांगर के हैं । शायद पत्रकार को चावल और शाली के बीच के भेद का पता न हो । अपूर्ण ज्ञानवाले लेखक लोगों को गलत राह पर खींच ले जाते हैं । उनके मन में झूठी मान्यताएँ और गलत ग्रंथियाँ पैदा करते हैं ।

देश का नाम	प्रति एकड़ डांगर की पैदावार	देश का नाम	प्रति एकड़ डांगर की पैदावार
फिलिपाइन्स	७१० किलो	भारत	६७० किलो
ब्राजिल	१०२० ,,	थाइलैण्ड	१२४० ,,
ब्रह्मदेश	१५०० ,,	चीन	१५६० ,,
पोलेण्ड	१७८० ,,	ताइवान	१८६० ,,
फ्रान्स	२१४० ,,	यु.एस.ए.	२२१० ,,
जापान	२७२० ,,	इजिप्त	२९२० ,,
इटाली	३२९० ,,	डेन्मार्क	३७९० ,,
आस्ट्रेलिया	३८४० ,,		

भारत में १९५०-५१ में चावल का उत्पादन ६६८ किलो प्रति हेक्टर था । १९६०-६१ में यह उत्पादन बढ़कर १०१३ किलो हो गया । रासायनिक खाद का उपयोग इस दशक में नहिं वत था । अर्थात् गोबर की खाद के उपयोग से ही दस वर्ष में चावल के उत्पादन में प्रति हेक्टर ३४५ किलो या ५१.६% की वृद्धि हुई ।

१९६०-६१ के बाद रासायनिक खाद का उपयोग अधिक शुरू हुआ । फिर भी १९६०-६१ के उत्पादन (१०१३ किलो) में १९८६-८७ तक और ४५८ किलो की वृद्धि अर्थात् १४७१ किलो तक पहुँचने में २६ वर्ष लगे । प्रथम दशक में बिना रासायनिक खाद के उपयोग के चावल के उत्पादन में ५१.६% की वृद्धि हुई और उसके बाद के २६ वर्षों में रासायनिक खाद का अनहद उपयोग करने के बावजूद प्रति हेक्टर उत्पादन

में मात्र ४४% वृद्धि हुई। यही प्रमाणित करता है कि रासायनिक खाद से अनाज के उत्पादन बढ़ने की बात सरासर जूठ है।

चीन फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता। वह सिर्फ सेन्द्रिय खाद का ही उपयोग करता है। उसने प्रति माऊ (माऊ अर्थात् १/६ एकड़) १० टन सेन्द्रिय खाद का उपयोग कर, प्रति एकड़ ६० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया है। "(Communist China Today" by Chandra Shekhar. Publishers Asian Publishing House 1962 edition, Page 40)

श्री चंद्रशेखर को चीन के अनाज उत्पादन के और उसके विनियोग के आंकड़े, चीन के कृषि संशोधन के आर्थिक विभाग के नियामक के पास से और दीर्घकालीन आर्थिक आयोजन विभाग के नियामक मी. चेनसीन के द्वारा प्राप्त हुए थे। हालाँकि यह आंकड़े सही होने में (कुछेक मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर) शंका ही है।

❖ अविश्वसनीय आंकड़े !

दूसरे देशों के आंकड़े भी कितने सही होंगे यह हम नहीं जानते; लेकिन वे भी अविश्वसनीय तो जान पड़ते हैं, क्योंकि एक लेखक-पत्रकार ने आस्ट्रेलिया को अन्न - उत्पादन में आखिर से तीसरे स्थान पर रखा है, तो दूसरे लेखक-पत्रकार ने उसे सर्वप्रथम स्थान दिया है। उसी प्रकार अन्य देशों के आंकड़े भी अलग-अलग भिन्न-भिन्न बताते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग विदेशों की इन पैदावारों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते रहते हैं, वे भारत की एक सौ साल पहले की पैदावार कितनी थी और अब उसमें कमी क्यों आई है, पुनः उस लक्ष्यांक को पार करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में हमेशा के लिए मौन धारण किये रहते हैं। हाँ, फर्टिलाइजर की सराहना करते रहते हैं।

ऐसा महसूस होता है कि हमारे राजनीतिज्ञ नेताओं और पत्रकार-लेखकों को कृषि, पशुसंवर्धन और उद्योगों की जानकारी बेहद कम

है, जिससे वे जाने - अनजाने विदेशी स्थापित हितों के प्यादे बनकर, विदेशों की समृद्ध कृषि - पैदावार की कपोल - कल्पित लेखों के अनुवाद छपवाकर, प्रजा के मन में लघुताग्रंथि और हताशा उत्पन्न करते हैं।

लेकिन 'इन्डियन एक्सप्रेस' के अमरिका स्थित संवाददाता श्री. वी. परसराम ने अमरिका की यांत्रिक कृषि के बारे में ज्यादा स्पष्टता की है। दि. ३१-१-'६७ के अंक में वे अमरिका से लिखते हैं कि, 'अमरिका में कृषि के यांत्रीकरण के बाद २० वर्षों में कृषि का उत्पादन खर्च बढ़ गया है। उस समय के अमरिका के कृषि मंत्रालय के मंत्री श्री फ्रिमेन ने कहा था कि अमरिका के मजदूर की वार्षिक २६१० डॉलर की कमाई की तुलना में, वहाँ के किसान की वार्षिक कमाई केवल १७०० डॉलर थी।' क्योंकि यांत्रीकरण से पैदावार में वृद्धि होने के बजाय केवल खर्च में ही वृद्धि हुई। कृषि के यांत्रीकरण का लाभ किसान को मिलने के बजाय यंत्रों के उत्पादकों को ज्यादा मिलता है। स्वतंत्र किसान यंत्र उत्पादकों का मोहताज बन जाता है।

हाल ही में अमरिका में खेती के यांत्रीकरण/ औद्योगीकरण तथा रासायनिक खाद के अमर्याद उपयोग के मानवीय तथा पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालने वाली श्री इ. जी. वेलियान्टोस लिखित एक पुस्तिका "हार्वेस्ट ऑफ डिवास्टेशन" प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के अनुसार सन् १८८० के दशक से लेकर सन् १९२० के दशक के बीच अर्थात् मात्र ५० वर्षों में अमरिका के दक्षिण के मैदानी प्रदेशों की १०० मिलियन (१० करोड़) एकड़ जमीन "डस्ट बाऊल" अर्थात् अनुपजाऊ धूल-धक्कड़ के प्रदेश में परिवर्तित हो गई है जो इस धरती की सबसे बड़ी व विनाशक पर्यावरणीय विपदा है।

❖ उत्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता कम होती है !

अनाज का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता भी

बनी रहे, यह आवश्यक है ।

भारत के शहरों में बसने वाले लोगों का यह अनुभव है कि फर्टिलाइजर के द्वारा उत्पादित विदेशी अनाज कैसा हीन कक्षा का होता है । कभी कभी तो पशुपक्षी भी उसे छूते तक नहीं, फिर भी भूखे लोगों को ऐसे सड़े-गले अन्न का भक्षण करना पड़ता है ।

प्रति एकड़ अन्न-उत्पादन की वृद्धि के साथ उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होनी चाहिए । साथ ही प्रजा उसे सस्ते में पा सके, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए । हाल में इससे विपरीत अन्न की गुणवत्ता कम होती जा रही है और भाव बढ़ते जा रहे हैं । कृषि का उत्पादन खर्च बढ़े यह बहुत गंभीर बात है । कृषि उत्पादों के भाव निरंतर बढ़ते रहने से किसान को कोई मुनाफा नहीं होता क्योंकि उसकी अधिक आय खेती के बढ़ते जा रहे खर्च को पूरा करने में ही खत्म हो जाती है । यांत्रिकरण से लाभ तो ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, जंतुनाशक दवाइयाँ, मोटरपंप आदि के उत्पादकों को ही और सविशेष 'डिजल' निर्यात करनेवाले अरब देशों को ही होता है । उत्पादन खर्च बढ़ने के कारण अनाज के भाव बढ़ते हैं । परिणामस्वरूप अन्य औद्योगिक चीज-वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं । अतः मजदूर और सरकारी कर्मचारी, महँगाई भत्ते बढ़ाने के लिए माँगे पेश करते हैं । सरकार अपने कर्मचारियों के महँगाई भत्ते की मांग की पूर्ति के लिए नए टैक्स लगाती है, जिससे महँगाई और फैलती है । पुनः कर्मचारी महँगाई भत्ते बढ़ाने की माँग पेश करते हैं । उसकी पूर्ति न होने पर आंदोलन, हड़ताल, हिंसक तोड़फोड़ आदि का विषचक्र फैलता जाता है । औद्योगिक उत्पादन का खर्च, ज्यादा महँगाई भत्ते, ज्यादा करबोझ और कच्चे माल की भाववृद्धि से लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका बुरा असर तैयार माल की निर्यात पर होता है ।

यदि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए करमुक्ति दी जाती है तो उसका अंतिम बोझ, चीजों के इस्तेमाल करनेवाली प्रजा को ही

भुगतना पड़ता है । इस प्रकार अनाज, कपडा और जीवनजरूरी चीजों के प्रतिदिन बढ़ते रहते भावों ने सामान्य प्रजा को त्रस्त कर दिया है ।

❖ **राष्ट्र का ढांचा ही उलटपुलट हो जाता है !**

फर्टिलाइजर के उपयोग से यदि सचमुच लाभ ही होता हो तो उसके उपयोग के बारे में कोई विरोध न होना चाहिए । लेकिन उसके उपयोग से यदि राष्ट्र का ढांचा ही उलटपुलट हो जाए तो किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए ही उसके उपयोग का प्रचार करना, यह बात राष्ट्र का खुला द्रोह करने के बराबर है ।

उपर जो आंकड़े दिये गये हैं, वे यह प्रमाणित नहीं करते कि फर्टिलाइजर के उपयोग से पैदावार बढ़ती है । इस लेख के आरंभ में ही समृद्ध कृषि की छः आवश्यकताएँ सूचित की गई हैं । उनमें भी फर्टिलाइजर को स्थान नहीं दिया गया है । उसके बाद जिन अलग अलग देशों के फर्टिलाइजर के उपयोग की मात्रा और अन्न उत्पादन के आंकड़े दिये हैं वे भी प्रमाणित करते हैं कि केवल फर्टिलाइजर के उपयोग से पैदावार में वृद्धि होती है, ऐसी मान्यता गलत है ।

❖ **मोरारजीभाई की ऐसे समझौते क्यों करने पडे ?**

ई. स. १९६८ में किसान पुत्र श्री मोरारजी देसाई ने अपनी गुजरात की यात्रा के समय बताया था कि वे जब छोटे थे और ट्रैक्टर या फर्टिलाइजर का नाम तक न सुना था तब प्रति एकड़ ६००० पाउन्ड (अंदाजन ४४१० किलो) डांगर (शालि) की पैदावार, गोबर की खाद का उपयोग कर पैदा कर लेते थे यह फर्टिलाइजर का उपयोग करनेवाले देश की पैदावार से भी अधिक था । केवल ५० वर्षों में देश का अन्न उत्पादन प्रति एकड़ ८७० किलो तक नीचा उतर गया । कारण एक ही है - गौवंश हत्या की नीति के कारण हल जोतने के लिए बैलों का और खाद के लिए गोबर का तीव्र अभाव । इस कमी को दूर करने के लिए संपूर्ण पशु-हत्या बंदी

करने के बजाय, किन्हीं रहस्यमय कारणों से श्री मोरारजीभाई ने गुजरात से दिल्ली पहुँच कर, प्रति वर्ष दो से ढाई अरब रूपयों की लागत के फर्टिलाइजर को अमरिका से आयात करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये करार जितने आश्चर्यजनक हैं, उतने ही उनमें किन्हीं देशी-विदेशी तत्त्वों का स्वार्थी हित भी निहित हो, ऐसी आशंका पैदा करनेवाले भी हैं। एसी भी आशंका है कि विश्व बैंक द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋण के साथ देश में रासायनिक खाद के उपयोग को बढ़ाने की अनिवार्य शर्त भी जुड़ी है।

❖ तेलन खेरी फार्म के प्रयोग क्या सूचित करते हैं ?

केवल गोबर की खाद का ही उपयोग कर उत्तरोत्तर प्रति वर्ष अधिक पैदावार प्राप्त करने का सफल प्रयोग सरकार के तेलन खेरी फार्म पर पशुओं को रखकर किया गया था। जिसके निष्कर्ष आगे दिये हैं। लेकिन इन परिणामों के आंकड़े फाईलों में गूँथ करके, फर्टिलाइजर की आयात, उसके उत्पादन और प्रचार के लिए युद्धस्तर के प्रयत्न करके अपनी अत्यंत गलत और अनार्थिक नीति को उचित ठहराने के प्रयत्न आज तक जारी हैं।

तेलन खेरी फार्म		
वर्ष	घास की पैदावार (मनों में)	अनाज की पैदावार (मनों में)
१९३२/३३	१२५९५	२१९
१९३३/३४	१२६२४	५०६
१९३४/३५	१८२०२	३५०
१९३५/३६	१५१४३	५२९
१९३६/३७	१८२७२	६२४
१९३७/३८	१९०२४	४३३
१९३८/३९	१९४७३	६१०

आधार : रिपोर्ट ऑफ इन्डस्ट्रीअल सर्वे कमिटी : भाग २

गोबर की खाद द्वारा तेलन खेरी फार्म पर ली गई पैदावार के आंकड़े बताते हैं कि फर्टिलाइजर की मदद के बिना केवल गोबर की खाद द्वारा, फर्टिलाइजर द्वारा प्राप्त पैदावार की अपेक्षा अधिक पैदावार ली जा सकती है। साथ ही उत्पादन खर्च भी बेहद कम आता है।

❖ विशेषज्ञों के अभिप्राय :

फर्टिलाइजर कृषि के लिए सचमुच आवश्यक है या केवल शोषण करने का एक प्रबल साधन मात्र है ? यह जानने के लिए मैंने सरकारी कृषि संशोधन विभाग से, भूमि विज्ञान के एक विशेषज्ञ से और कृषि विद्यापीठ के एक अधिकारी से प्रश्न किए थे। जिनके उत्तर मुझे निम्नानुसार मिले थे;

“जमीन में गोबर की खाद या कम्पोस्ट (गोबर और पत्ते, घास आदि के मिश्रण से बनी खाद) डाले बिना, केवल फर्टिलाइजर डाल कर कृषि करना उचित नहीं; क्योंकि वैसा करने से जमीन की उर्वरकता का सर्वनाश हो जाता है।”

“फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पौधों की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं; जिससे जमीन सख्त हो जाती है।”

“क्षारयुक्त जमीन में और उर्वरकताहीन जमीन में बड़े पैमाने पर गोबर की खाद का उपयोग करना चाहिए। विरान जमीन को उर्वरक बनाने के लिए भारी मात्रा में गोबर की खाद का उपयोग करना, यही उत्तम उपाय है।”

“यदि पचुर मात्रा में पैदावार लेनी हो तो प्रति एकड़ ६० टन गोबर की खाद डालनी चाहिए। यदि उतनी मात्रा में खाद न डाली जाए तो जमीन अपनी उर्वरकता गँवा बैठती है; क्योंकि चरागाहों और जंगलों के विनाश के कारण जमीन का कटाव होता रहता है।” (खाद डालने की मात्रा, जमीन के प्रकार और जिस प्रकार की पैदावार लेनी हो, उस पर आधार रखती है।)

एक ओर से हम कृषि अन्तर्गत जमीन के विस्तार में वृद्धि करते जा रहे हैं; और इस प्रकार योग्य बुआई के लिए बैलों की और खाद की जरूरत में वृद्धि करते रहते हैं, और दूसरी ओर कल्ल द्वारा बैलों की और खाद की कमी बढ़ाते जाते हैं। परिणाम स्वरूप जमीन कमजोर और कम उपजाऊ बनती चली जा रही है।”

❖ क्या यह सब पूर्व-आयोजित षडयंत्र होगा ?

यह सब पूर्व-आयोजित षडयंत्र है, ऐसा मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं। पशुओं की कल्ल द्वारा खाद की कमी पैदा कर किसानों को फर्टिलाइजर का उपयोग करने के लिए विवश किया गया है। उसके उपयोग से जमीन सख्त बने और बैल उसमें हल चला न पाए, इस तरह ट्रैक्टरों का उपयोग करना जरूरी कर दिया गया है। फर्टिलाइजर और ट्रैक्टरों का आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के नाम पर सरकारी सहायता से जोशीला प्रचार किया जाता है। किसान उसका उपयोग करने के लिए ललचाये, उसके लिए दोनों चीजों पर बैंकों द्वारा आसान कर्ज की व्यवस्था की गई है। पशुहत्या द्वारा बैलों की भी हेतुपूर्वक आयोजित कमी पैदा कर और उसकी कीमत बढ़ाने में सहायक बनकर, सरकारी मंत्रियों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों की सहकारी मण्डलियों की रचना का जोरदार प्रचार किया जाता है। फर्टिलाइजर का उपयोग करने से खेत में उपज का नाश करनेवाले जीवजन्तु अवश्य पैदा होते हैं, अतः जीवजन्तु नाश करने के लिए जन्तुनाशक दवाई के उपयोग की व्यवस्था की गई है। यह सब कुछ देख कर क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ निश्चित औद्योगिक इकाइयों और तेल उत्पादक राष्ट्रों को कमाई कराने की सरकारी चालबाजी है?'

❖ इस सारी व्यवस्था में जरा भी सयानापन नहीं है!

अनपढ और भोला किसान प्रचार के चक्कर में फँसकर ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग करने लगता है। अतः उसे

कर्ज देकर कर्जदार बनाया जाता है। उपर निर्दिष्ट अनावश्यक व हानिकारक वस्तुओं के उपयोग से कृषि का उत्पादन खर्च बढ़ाकर अनाज और औद्योगिक चीजों के मूल्य बढ़ाये गये हैं। गायों की कल्ल द्वारा दूध और घी की कृत्रिम कमी पैदाकर परदेशी डेरियों को भारत के घी-दूध के बाजार को हथिया लेने दिया गया है। भारत में दूध - घी की कमी पैदा कर अपोषण के रोग फैलाकर विदेशी फार्मसियों को लोगों का शोषण करने का मौका दिया गया है। सारी प्रजा को महँगाई, तंगी, अपोषण के दर्द और मानसिक एवं आर्थिक तनाव में परेशान किया गया है। यह सब कुछ मानों एक निश्चित मुट्ठीभर वर्ग के (जो शायद समुद्र में बूँद-सा छोटा होगा) और विदेशियों के लाभ में हो रहा हो ऐसा लगने लगे तो यह मान्यता प्रामाणिक और सच्ची होगी। ऐसे प्रजाद्रोही कार्य करने के पीछे किसी भी प्रकार का आर्थिक और वैज्ञानिक सयानापन हो, ऐसा मानना असंभव है।

❖ फर्टिलाइजर के उपयोग के प्रत्याघात !

अब हम फिर से फर्टिलाइजर के उपयोग के प्रत्याघातों पर सोच-विचार करें। जब जमीन का अमर्यादित शोषण होता है और जो रस-कस उसमें से चूस लिए जाते हैं, उसके प्रमाण में उसे गोबर की खाद के रूप में पोषण प्राप्त नहीं होता। तब उसमें उगाए गए अनाज, घास-चारा, सब्जी-तरकारी, फल-फूल आदि उनके अपने सत्त्व को अर्थात् अपनी पोषक शक्ति, स्वाद, सुगंध आदि सभी तत्त्वों को गँवा बैठते हैं।

ऐसी सत्त्वहीन खुराक जो मनुष्य, पशु और पक्षी आदि खाते हैं, वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी कमजोर होते जाते हैं। जो हिंसक जानवर अन्य कमजोर जानवरों, जैसे कि हिरन, नील-गाय, साबर, भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस आदि का शिकार कर उनके मांस पर गुजारा करते हैं; वे भी कमजोर और निर्वीर हो जाते हैं। क्योंकि वनस्पति का आहार करनेवाले ये भक्ष्य जानवर भी सत्त्वहीन अनाज और घास खाने के कारण उनके मांस में भी पोषण देने की क्षमता नहीं होती।

सत्त्वहीन, पोषणहीन अनाज और घास-चारा खा कर मनुष्य और जानवर शक्ति, स्वास्थ्य और रोग प्रतिकारक शक्ति गँवा बैठते हैं। उनका मांस खाकर हिंसक जानवर और पक्षी भी, शक्ति, स्वास्थ्य और रोग प्रतिकारक शक्ति गँवा बैठते हैं। जिससे क्रमशः पशु-सृष्टि का नाश होता रहता है।

जंगलों और चरागाहों का सर्वनाश, जलाशयों का सर्वनाश, जमीन की उर्वरकता का विनाश आदि कारणों से करोड़ों जानवर भोजन, पानी और आश्रय के अभाव में नष्ट हुए हैं। उनके विनाश के कारणों को दूर करने के बदले करोड़ों रुपयों का खर्च कर उनके लिए अभयारण्य बनाये जाते हैं। ऐसे अभयारण्यों बनाने के पीछे आर्थिक, वैज्ञानिक या सामान्य बुद्धि का अंश भी दीख नहीं पड़ता। इन तमाम हिंसक और अहिंसक पशु-पक्षियों को बचा लेना हो तो पशुहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लादकर, नष्ट हुए अथवा हेतुपूर्वक नष्ट किए हुए जंगलों, चरागाहों और जलाशयों को पुनर्जीवन देना चाहिए और उनका पुनरुद्धार करना चाहिए।

❖ शक्ति कम होती जा रही है !

हमारी गायों की दूध देने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बैल श्रमशक्ति गँवा रहे हैं। अकबर के जमाने में गाय प्रतिदिन ६४ सेर दूध दे पाती थीं और बैल प्रतिदिन १२० मील तक भार वहन कर सकता था।

५० साल पहले तक भी ६० मील तक रोजाना चलनेवाले बैल और प्रतिदिन ३० सेर दूध देनेवाली गायें अपवादरूप में ही सही, परंतु मिल पाती थीं। आज तो प्रतिदिन २० मील तक चलकर ही बैल थक जाते हैं। गायें शायद ही प्रतिदिन दो से तीन लीटर दूध दे पाती हैं। इसके कारणों में मुख्य कारण जमीन की उर्वरकता में आयी कमी है। गौहत्या और वनविनाश, चरागाहों के सर्वनाश की नीति आदि भी कारण हैं। पूर्वनियोजित षड्यंत्रों के ये सभी परिणाम हैं।

❖ गोबर-खाद का उत्पादन बढ़ाएँ !

जमीन को योग्य और पर्याप्त पोषण और सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए, यह विश्वमान्य वास्तविकता है। गोबर-खाद एक उत्तम पोषण है, इस बात को भारत एवं विश्वभर के कृषि विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं; फिर भी यह एक आश्चर्यजनक विडंबना है कि एक भी योजना आयोग ने या एक भी राज्य के कृषि मंत्रालय ने गोबर-खाद की उत्पादन वृद्धि के बारे में सोचा तक नहीं। उसके बदले योजना आयोगों ने केवल फर्टिलाइजर की आयात करने और देश में भी उत्पादन करने की अरबों रुपयों के खर्चवाली योजनाएँ बनाकर भारतीय एवं विदेशी स्थापित हितों के लाभ के लिये देश के समस्त किसानवर्ग को उनका मोहताज-परावलंबी बना दिया है।

❖ फर्टिलाइजर का उपयोग अनार्थिक और अव्यावहारिक है !

अब फर्टिलाइजर के आर्थिक और व्यवहारिक पहलुओं पर गौर करें।

भारत में प्रतिवर्ष १४.२८ करोड़ हेक्टर जमीन पर कृषि होती है। उसमें से केवल ५.०२ करोड़ हेक्टर जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा है। शेष ९.२६ करोड़ हेक्टर जमीन पर सूखी या वर्षा आधारित खेती होती है। (इण्डिया १९९९) यह सुविधा भी केवल कागज पर ही है; क्योंकि अधिकांश कुएँ, तालाब, नदियाँ सूख गये हैं और बरसात कम हो तब नहरें भी सूखी रहती हैं।

सिंचाई की सुविधा से वंचित और मात्र बरसात पर आधारित जमीन पर फर्टिलाइजर का उपयोग करने में खतरा है; क्योंकि उसका उपयोग करने के बाद फसल को पानी की आवश्यकता ज्यादा रहती है और वह भी अमुक निश्चित समय पर ही चाहिए। यदि पर्याप्त पानी निर्धारित समय पर न मिल पाए तो फसल जल जाती है। इस ९.२६ करोड़ हेक्टर जमीन के लिए गोबर की खाद ही आर्थिक और व्यावहारिक है। उसके लिए ५० वर्षों में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। जबकि केवल ५.०२ करोड़ हेक्टर

जमीन में सिंचाई योजनाओं के लिए अब तक ६१४०२ करोड़ रूपयों का दुर्ब्यय किया गया है ।

❖ जाँच आयोग को नियुक्ति करें !

आश्चर्य की बात तो यह है कि फर्टिलाइजर का उपयोग करने की स्थिति में भी जमीन में गोबर-खाद अथवा कोम्पोस्ट खाद तो डालनी ही पडती है । इस मूलभूत बात को भुला कर, निम्न गुणवत्ता के फर्टिलाइजर के पीछे अरबों रूपयों का दुर्ब्यय क्यों किया गया ? उसकी जाँच होनी चाहिए । संभव है इसके पीछे भारतीय और विदेशी हितसंबद्ध व्यक्तियों का षड्यंत्र भी हो ।

सूखी जमीन की गोबर-खाद की जरूरत के प्रति आँख बंद कर और पशुहत्या को अधिकाधिक विस्तृत बनाते रहकर देश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुँचाया गया है । अरबों रूपयों की पूंजी का फर्टिलाइजर में दुर्ब्यय करके प्रजा के लिये निवासस्थानों (घरों) जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना असंभव बना दिया है । उसमें दूरदर्शिता तो एक और रही; लेकिन व्यवहारिक बुद्धि का भी दिवालापन दीख पड़ता है ।

सरकारी प्रचार का शिकार बनकर और सरकारी ऋणों की लालच में अथवा सरकार की नीतियों से दबकर सूखी जमीन के किसान फर्टिलाइजर का उपयोग करें और यदि वर्षा निष्फल हो तो किसानों की फसल नष्ट हो जाए । वे ऋण की किश्त (हप्ते) भरपाई कर न सकें । उन्हें अगले साल नया कर्ज़ लेना पड़े । वर्षा निष्फल जाए या अनियमित हो या बरसात प्रमाण में कम हो तो नुकसान किसान को और लाभ केवल सरकारी या बिनसरकारी फर्टिलाइजर फैक्टरियों को होता है ।

इतने वर्षों में सरकार के और सरकारी बैंकों के कितने सैंकड़ो करोड़ रुपये फर्टिलाइजर के ऋणों में फँसे हुए हैं, यह तो पता नहीं परंतु इंडिया १९९९ के पृष्ठ २६४ पर छपी जानकारी के अनुसार ३१ दिसंबर १९९७

को कृषि क्षेत्र का रु. ३२,४७२ करोड़ का ऋण बकाया था ।

फर्टिलाइजर के उपयोग में न प्रजा का हित है, न खेती की जमीन का हित है, न किसान का हित है और न ही राष्ट्र का हित है । फिर भी मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हित को ध्यान में रखकर हर साल फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ाया जाता रहा है । और फिर फर्टिलाइजर को “पब्लिक सेक्टर” का उद्योग बनाकर सरकार का स्वयं का स्थापित हित बन गया है । इसलिये समूचे राष्ट्र के हित का भोग देकर भी फर्टिलाइजर के प्रचार से सरकार बाज़ नहीं आती ।

❖ उत्पादन नहीं बढ़ा; लेकिन उत्पादन खर्च बढ़ा है !

अनाज ज्यादा पैदा हो और उसके भाव कम हों, यह तो समग्र राष्ट्र के हित की बात है । परंतु वास्तविकता यह है कि फर्टिलाइजर के उपयोग से उत्पादन नहीं बढ़ा है, उत्पादन खर्च बढ़ा है । खर्च बढ़ने के कारण, अनाज के महँगे भावों के कारण, औद्योगिक वस्तुओं के भाव भी बढ़ना अनिवार्य हो गया है । परिणामस्वरूप महँगाई भत्ते, करवृद्धि, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फिति आदि का विषचक्र लगातार अधिक फैलता जाता है ।

जिस हद तक वर्तमान में पशु-विनाश हुआ है, यह देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि चन्द वर्षों में गोबर-खाद उपलब्ध होना ही बंद हो जायेगी और सारी कृषि फर्टिलाइजर द्वारा करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ेगा । इसी उद्देश से पशुओं की तेजी से होने वाली कत्ल, बेहद निर्यात और फर्टिलाइजर के कारखानों के अरबों रूपयों के खर्च वाली योजनायें तैयार हुए हैं ।

ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने से भारी अराजकता - अव्यवस्था फैल जाएगी । एक और बिना गोबर-खाद के हमारी जमीन अत्यंत तेजी से बंजर हो जाएगी । दूसरी और किसान पूर्णरूप से फर्टिलाइजर के फैक्टरी मालिकों के मोहताज बने रहेंगे । हमारी कमजोर यातायात व्यवस्था और रेल

यातायात पर चार करोड़ टन अतिरिक्त फर्टिलाइजर का वहन करने की जिम्मेदारी आ पड़ेगी !

❖ **फर्टिलाइजर गाँव गाँव पहुँचाने की यातायात की कार्यक्षम व्यवस्था है ?**

फर्टिलाइजर निश्चित समय सीमा में खेतों में पहुँच जाना चाहिए । वर्तमान में रेल्वे को कपास, तैली बीज, तेल, अनाज, कोयला, चीनी डीझल, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, निर्यात के लिये माल-सामान आदि करोड़ों टन मालसामान की हेरफेर निश्चित समय में करनी पड़ती है । रेल्वे इस पूरे मालसामान की उचित समय में हेरफेर नहीं कर पाती; जिससे हजारों टन माल का नाश होता है या कारखानों में समय पर न पहुँचने के कारण उद्योगों को भारी नुकसान पहुँचता है । कारखाने चालू रखने के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का कोयला भी नियमित पहुँच नहीं पाता । इस प्रकार भारवहन से दबी भारतीय रेल एक या दो मास के अंदर चार करोड़ टन अतिरिक्त मालसामान (फर्टिलाइजर) को देश के कोने कोने तक किस प्रकार पहुँचा पायेगी ?

फर्टिलाइजर के लिये, ट्रैक्टर के लिये, जंतुनाशक दवाइयों के लिये, ट्रैक्टर चलाने के लिए डिझल आदि के खर्च हों, वह तो अलग से । ऐसा होने पर लोग सस्ता, पौष्टिक, शुद्ध और पर्याप्त अन्न प्राप्त करने की आशा कैसे रख सकते हैं ?

पशुहत्या संपूर्णतया बंद हो जाए तभी कृषि पर लदा हुआ यह सारा बोझ कम होगा और प्रजा महँगाई, अभाव, कमी, मुद्रास्फिति और भ्रष्टाचार के विषचक्र से मुक्त हो सकेगी !

❖ **हड़ताल हो जाये ती ?**

फर्टिलाइजर फैक्टरी में हड़ताल हो जाये, उन्हें समय पर कच्चा माल प्राप्त न हो पाये, या ईंधन/बिजली प्राप्त न हो, या समय पर वेगन प्राप्त

न हो, या रेल में हड़ताल हो जाये, तो ऐसे किसी भी कारणवश समग्र राष्ट्र अनाज के अकाल के भीषण चक्र में फँस जाए ।

❖ **स्वास्थ्य पर होनेवाली विपरीत असर !**

फर्टिलाइजर के व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं की चर्चा करने के बाद, हमारे स्वास्थ्य पर होनेवाले दुष्प्रभाव को भी जान लेना चाहिए । पशु और मनुष्य भोजन लेते हैं बलवान और स्वस्थ रहने के लिए । पशुओं पर फर्टिलाइजर की सहायता से उत्पादित चारे का कैसा बुरा असर होता है, उसका पता आगे दिये गये उदाहरण से चलता है ।

❖ **पश्चिमी विशेषज्ञ का अभिप्राय !**

सर आल्बर्ट हावर्ड कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में ई. स. १९०५ में भारत आये थे । उनकी पुस्तक 'एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेन्ट' में वे लिखते हैं कि, गोबर खाद की सहायता से - उपयोग से उत्पन्न अनाज और पशुओं का चारा ज्यादा पौष्टिक है और रोगों के विरुद्ध प्रतिकार करने की शक्ति शरीर में पैदा करते हैं ।

“लेकिन जैसे ही आपने खेत में फर्टिलाइजर डाला कि तुरंत ही घासचारे की शक्ति और स्वाद नष्ट हो जाते हैं और जमीन एवं अनाज-चासचारा को रोग लागू होता है । फर्टिलाइजर द्वारा उगाए गए अनाज, घासचारा आदि इन रोगों के विरुद्ध प्रतिकार नहीं कर पाते ।”

❖ **एक प्रयोग**

डॉ. हावर्ड ने एक खेत में केवल गोबर-खाद के द्वारा चारा उगाया और पास के खेत में केवल फर्टिलाइजर डाल कर चारा उगाया । दोनों खेतों के बीच तार की मेड़ थी । दोनों ओर जानवर बाँधे गये । ये जानवर एक-दूसरे के आमने-सामने बाँधे गये थे जिससे एक दूसरे के शरीरों को पुचकार लेते थे । जिस खेत में गोबर-खाद द्वारा चारा उगाया था, उस खेत में बाँधे पशुओं को वही चारा खिलाया जाता था । जिस खेत में फर्टिलाइजर डाल

कर चारा उगाया गया था, उस खेत में बाँधे पशुओं को वही चारा खिलाया जाता था। थोड़े समय के बाद फर्टिलाइजर वाले खेत में बाँधे जानवरों में रोग फैलने लगे। पशुओं में मुँह के और पाँव की खरी के रोग संक्रामक और असाध्य माने जाते हैं। वे इस हद तक संक्रामक होते हैं कि यूरोप-अमेरिका में किसी भी जगह यह रोग देख पड़े तो आसपास के अमुक विस्तार के तमाम तंदुरस्त पशुओं को भी खत्म कर दिये जाते हैं, जिससे रोग आगे न बढ़ सके।

कुछ वर्ष पहले इंग्लैण्ड में ऐसे रोगों के कारण तीन हजार नीरोगी भेड़ों को गोलियाँ मार कर खत्म कर दी गई थी। फर्टिलाइजर द्वारा उत्पन्न घासचारा खाकर तमाम पशु रोग के शिकार बन कर मर गये। परंतु गोबर-खाद द्वारा उत्पन्न चारा खानेवाले जानवर रोगी पशुओं के सीधे संपर्क में रहने पर भी, उनमें रोग का संक्रमण नहीं हुआ।

इस प्रयोग से गोबर-खाद द्वारा उगाए गए अनाज और घासचारे में कितनी शक्ति होती है और फर्टिलाइजर द्वारा उगाये गए अनाज और घासचारा कितने सत्त्वहीन होते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पशु की अपेक्षा मानव शारीरिक रूप से निर्बल है। अतः वह फर्टिलाइजर द्वारा उगाये अनाज खाकर जल्द कमजोर और रोगों का प्रतिकार करने में असमर्थ बन जायेगा।

❖ औषधि क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि क्या संकेत देती है ?

फार्मसी उद्योग द्वारा उत्पादित होने वाली दवाओं/ औषधियों की कीमत १९४५ में मात्र १२ करोड़ रुपये थी। सन् १९७१-७२ में इस उद्योग द्वारा उत्पादित दवाओं आदि की कीमत बढ़कर ३०० करोड़ की हो गई और १९९६-९७ में यह कीमत बढ़कर १२६४० करोड़ की हो गई (ईंडिया १९९९ पृष्ठ सं. ४४०)

फार्मसी उद्योग में १९९० के अंत तक २०११ करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश किया गया था।

औषधियों की यह भारी उत्पादनवृद्धि देश की आर्थिक, सामाजिक या औद्योगिक प्रगति की परिचायक नहीं बल्कि प्रजा का स्वास्थ्य किस हद तक गिर गया है, यह सूचित करती है। औषधियों का ज्यादा उपयोग शहरों में होता है। गाँवों में औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में पहुँच भी नहीं पाती। उपरांत गरीब ग्रामजनों के पास औषधियाँ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। शहरों में भी मध्यम वर्ग की आमदनी कम होती है, विशेष कर क्लर्क, गुमास्ता, फेरी करनेवाले और छोटे व्यापारी ये सभी पैसे और समय के अभाव के कारण, औषधियों के बिना बीमारी की यातना सहते रहते हैं। यदि इन तमाम बीमारों को दवाईयाँ उपलब्ध करानी हो तो, सैंकड़ों अरब रुपयों से अधिक लागत की दवाईयाँ भी पर्याप्त न होंगी।

❖ गाय विविधलक्षी छोटी फैक्टरी है।

फर्टिलाइजर और ट्रैक्टर उद्योग के स्थापित हितों को मात्र ध्यान में रखकर उनकी जबर्दस्त प्रतिस्पर्धी गाय के तमाम उपयोगी पहलुओं पर पर्दा डाल कर, उसे मात्र दूध देनेवाले जानवर के रूप में ही प्रजा के समक्ष पेश की जाती है। परंतु भारत में गाय केवल दूध देनेवाला जानवर - 'Dairy animal' नहीं है। वह घी, दूध तो देता ही है। लेकिन ट्रैक्टर के सामने आर्थिक रूप में सफल प्रतिस्पर्धक बैल छोटा ट्रैक्टर है, जो बिना डिजल चलता है। उपरांत गाय मुफ्त खाद देने वाली छोटी फैक्टरी है। तदुपरांत घरों के निर्माण करने में उपयोगी गोबर देनेवाली छोटी 'सिमेन्ट-फैक्टरी' भी है। लोगों को बीमार न होने देनेवाली छोटी-सी फार्मसी - फैक्टरी भी है। मुफ्त ईंधन देने वाली छोटी ईंधन फैक्टरी भी है।

प्रसिद्ध पशुशास्त्री डॉ. बी. पी. लेण्डर बताते हैं कि वयस्क उग्र की और अच्छी तरह संवर्धित गाय, एक साल में चार टन गोबर और ३२४७ पाउन्ड (अंदाजन डेढ़ टन) मूत्र देती है जिससे करीब १० टन प्राकृतिक खाद बनती है जो सिंचाई की सुविधावाली एक हेक्टर जमीन के लिए पर्याप्त खाद बन जाता है। इतनी खाद में करीब २०० से २२५ किलो

नाइट्रोजन फोस्फोइट और पोटेशियम होता है ।

ऐसी दस लाख गायें हों तो एक करोड़ टन गोबर की खाद बन सकती है । उपरांत ५० हजार मानवों को (पशु-पालकों और शुद्ध घी के उत्पादकों को) रोजगार दे सकती है और १८० करोड़ रुपयों की किंमत का शुद्ध घी प्रति वर्ष पैदा कर सकती है । इन छोटी फैक्टरी रुपी १० लाख गायों की - 'मिनी फैक्टरीयों' की आज के गाव के बाजार भाव से २०० करोड़ रुपये की कीमत होगी । संपूर्ण गोवध बंध कराकर इनकी किंमत २०० करोड़ से घटा कर १० करोड़ की जा सकती है ।

इसके सामने २०० करोड़ रुपयों की पूंजी से लगी फर्टिलाइजर की फैक्टरी, केवल २०० मानवों को ही रोजगारी दे पाती है । उतनी पूंजी में भी १० लाख गायों के गोबर से प्राप्त खाद जितनी खाद मिल भी जाये, तो भी रासायनिक खाद जमीन को और अनाज को बिगाड़ेगी । साथ ही गायों से मिलनेवाला दूध या शुद्ध घी भी प्राप्त न होगा; उल्टे अन्य कई दुष्परिणाम पैदा होते हैं । योजना आयोग और मंत्रीमण्डलों ने इन सब आर्थिक, व्यवहारु और तंदुरस्ती से संबद्ध बातों का विचार किए बिना ही, केवल फर्टिलाइजर के कारखानों को स्थापित करने के निर्णय लिये हों, तब उसकी ओट में किसी स्थापित हित, स्वार्थी टोली की करामत है, (चाहे फिर वे भारतीय हों, विदेशी हों या दोनों मिलेजुले हों,) वैसी शंका होना स्वाभाविक है । ऐसे कारखानों की स्थापना के निर्णय राज्यों के बीच (अपने ही राज्य में कारखाना स्थापित किया जाए ऐसा दुराग्रह) व ईर्ष्या पैदा करते हैं, झगडे खड़े कर देते हैं और देश की भावात्मक एकता को तहस-नहस कर देते हैं ।

❖ कृषि मुनाफे का साधन नहीं है !

कृषि तो प्रजा की तंदुरस्ती, समृद्धि और संस्कृति की नींव है । जब उसे मुनाफे का साधन बना दिया जाए, तब कृषि एक तरह की लूट बन

कर रह जाती है । आधुनिक कृषि अनुसंधान किसान को अच्छे, पौष्टिक और स्वादिष्ट अनाज की पैदावार ज्यादा कैसे हो यह सिखाने के बजाय वह कुशल शोषक कैसे बने, यह सिखाती है । प्रजा के तमाम वर्गों की अवहेलना - उपेक्षा कर, स्वयं ज्यादा मुनाफा कैसे प्राप्त करे, यह वर्तमान किसान को सिखाया जाता है ही और उन्हें उसके लिए उकसाये जाते हैं ।

यदि हम कृषि के यांत्रिकरण के पीछे अंधे हो जायेंगे तो आर्थिक और व्यावहारिक कारण कृषि में हमें संपूर्णतया निष्फलता देंगे । परिणामतः किसान और अन्य प्रजा के बीच एक दूसरे के शोषण के षड्यंत्र रचे जायेंगे । आज भी वैसे खेल शुरू हो चुके हैं, जो शायद अकाल, सूखा और वर्गविग्रह में परिणत हो जाएं ।

कृषि तो देश के अर्थतंत्र का मूलभूत अंग है । कृषि की स्थिति में देश का अर्थतंत्र प्रतिबिंबित होता है ।

❖ दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ :

विश्व में दो प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ हैं ।

(१) यंत्र के आधार पर विकसित पश्चिम की शोषक और हिंसक अर्थव्यवस्था :

शोषण और हिंसा, ये दोनों ही पश्चिमी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार हैं । दो दो विश्वयुद्ध और दो सौ वर्ष तक पश्चिम के राष्ट्रों द्वारा गुलाम बनाये गये एशियाई-अफ्रिकन राज्यों का शोषण, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद नवोदित राज्यों के बीच जारी युद्ध, आन्तर- विग्रह, विप्लव, जीवनावश्यक चीज-वस्तुओं की कमी, काले बाज़ार, भ्रष्टाचार - ये सब इस शोषक अर्थव्यवस्था के परिपाक हैं । इस अर्थव्यवस्था के दो भाग हैं; पूंजीवाद और साम्यवाद । दोनों का ध्येय केवल एक ही है - शोषण करने का । क्योंकि बिना शोषण उनका अस्तित्व ही नहीं टिक सकता । दोनों के बीच झगड़ा केवल शोषण करने के अधिकार का है । पूंजीवाद में व्यक्ति या व्यक्तिमूह,

राज्यतंत्र की सहायता और सुरक्षा प्राप्त कर शोषण करते हैं; जबकि साम्यवाद में राज्य शासन स्वयं शोषण करता है। इस शोषक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही पूंजीवादी और साम्यवादी अर्थतंत्र का पुरस्कार करनेवाली महासत्ताएँ, नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के नाम पर पुनः आर्थिक गुलामी में फँसा कर उनका शोषण करने के प्रयत्न करती हैं।

जिस देश ने ऐसी शोषक अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया हो, उस देश की कृषि भी शोषण पर ही टिकी रहती है। वह बिना प्रयत्न ही मुनाफ़ाखोर और स्वार्थमय बन जाती है।

हमने भी शोषक, हिंसक यांत्रिक अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया और पूंजीवाद व साम्यवाद के बीच के घर्षण से बचने के लिए मिश्र अर्थव्यवस्था का आयोजन कर के पूंजीवाद और साम्यवाद (व्यक्तिगत क्षेत्र और शासन संचालित क्षेत्र) दोनों को शोषण के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी। परिणामस्वरूप कृषि की गुणवत्ता घटिया होती जा रही है, स्वार्थवृत्ति एवं मुनाफ़ाखोरी बढ़ती जा रही है और समुची कृषि, धीरे धीरे कुछ निश्चित उद्योगों और पेट्रोल के उत्पादक अरब-राष्ट्रों के सकंजे में फँसती जा रही है।

(२) दूसरी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है:

यह अर्थव्यवस्था गोरक्षा, वनरक्षा, भूरक्षा और जलरक्षा के सिद्धांत पर आयोजित है। उसके पीछे, जीवमात्र की रक्षा और पोषण करने की भावना है। इसीलिए भारत में कृषि को विशिष्ट प्रकार का यज्ञ माना जाता था।

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक गाँव एक स्वावलंबी इकाई था और पशुधन एवं चर्खा, ये दोनों उसके मूलाधार थे। प्रत्येक गाँव एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक जैसा था। इसी कारण हजारों वर्ष तक भारत विदेशी आक्रमणों के सामने टिका रहा।

अंग्रेजों ने हमारे इस सुदृढ़ ढाँचे को खत्म करने के लिए, गाँवों की

कत्ल की और चर्खे का खात्मा बोल दिया। इस प्रकार हमें परावलंबी बना दिया। महात्मा गांधी ने गोहत्या बंद कर, चर्खे की पुनः स्थापना कर देश में पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए आजीवन प्रयत्न किए। परंतु उनकी मृत्यु के बाद हमने उनके किए-कराये पर पानी फेर दिया और चर्खे की उपेक्षा कर के एवं गाँवों की बड़े पैमाने पर कत्ल कराकर, हमारी पवित्र एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था को टुकराकर पश्चिम की शोषक और हिंसक अर्थव्यवस्था का स्वीकार कर लिया। जिस से गाँव बरबाद होकर शहरों के आधीन बन गए और कृषि देशी-विदेशी स्थापित हितों की पकड़ में जा फँसी।

कृषि ही गाँवों की समृद्धि का आधार है। लेकिन उसे ही ट्रेक्टर, फर्टिलाइजर, जंतुनाशक दवाईयों, मोटर पंप, ट्रकों आदि उद्योगों का गुलाम बना देने का गंभीर षडयंत्र रचा गया है। उसका परिणाम वर्गविग्रह होगा, भयंकर तंगी होगी, काले बाजार व भ्रष्टाचार होगा, मुद्रास्फिति बढ़ेगी और देश विदेशी कर्ज के बोझ तले कचड़ा जायेगा।

हमने शोषक और हिंसक अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है, जिसका बुरा प्रभाव समुची प्रजा के मानस पर उभर आया है। हिंसा द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन कमा लेने की और एक दूसरे का शोषण करने की वृत्ति उमड़ रही है। हिंसा और शोषण, मानो जीवन जीने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, ऐसी भावना प्रजा में फैलती जा रही है।

बैल बनाम ट्रेक्टर

❖ खतरनाक त्रिवेणी संगम !

यदि गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम भारत की भूमि को पवित्र बनाए रखता है, तो ट्रेक्टर, फर्टिलाइजर और इन्सेक्टीसाइड्स (जंतुनाशक दवाईयों) के अपवित्र संगम से भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढाँचे का ही खात्मा होता जा रहा है।

यदि हम फर्टिलाइजर द्वारा कृषि करें तो तुरंत ही जंतुनाशक दवाइयाँ खेतों में जंतुओं की संहारलीला शुरू कर देती है और जमीन धीरे धीरे सख्त बन जाती है; जिसे तोड़ने के लिए आखिर ट्रेक्टर की सहायता लेनी पड़ती है।

जमीन में फर्टिलाइजर डालने से पौधों की जड़ें गहरी जाती हैं। उपरांत चारों ओर फैलती हैं। इस कारण जमीन सख्त हो जाती है और इसमें हल चलाने में बैलों को बड़ी कठिनाई होती है। शक्ति से अधिक मेहनत करने से बैल कमजोर हो जाता है। युवावस्था में ही उसे बदल देना पड़ता है। इस प्रकार किसान को आठ-दस वर्षों के बदले, चार-पाँच वर्षों में ही बैल को बदल देना पड़ता है। इससे उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जब प्रतिवर्ष फर्टिलाइजर डालना पड़ता है तब आखिर में जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि बैल उसमें हल चला ही नहीं सकता। जिससे ट्रेक्टर द्वारा जमीन को तोड़नी और जोतनी पड़ती है। उपरांत उसमें उगाए गए अनाज की सांठियाँ इतनी मोटी होती हैं कि जानवर भी उसे खा नहीं पाते। अतः उनके लिए अलग चारा उगाना हो तो किसान को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। फर्टिलाइजर का उपयोग करने से जमीन को, पौधे को, बैल को, किसान को, पैदावार के प्रकार को और उसे खानेवाले को क्या और कैसा नुकसान होता है उसकी जानकारी बिना ही पत्रकार-लेखक फर्टिलाइजर की प्रशस्तियों की बौछारें अखबारों में कर देते हैं। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और योजना आयोग भी सभी बातों की ओर से आँखें मूंद कर फर्टिलाइजर का ही प्रचार किया करते हैं और राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति की उसमें बरबादी करते रहते हैं।

❖ सहोदरी भगिनियाँ

यदि ट्रेक्टर से ही कृषि की शुरुआत करें तो तुरंत ही फर्टिलाइजर भी लाना पड़ता है; क्योंकि ट्रेक्टर खाद नहीं दे पाता, बैलों की तरह मानव के लिए निरूपयोगी ऐसे अनाज के पौधे के सांठे खाकर निभ नहीं सकता

और बिना डिज़ल वह एक कदम भी नहीं चलता। इसलिए ट्रेक्टर, फर्टिलाइजर और जंतुनाशक दवाइयाँ एक साथ ही खेतों पर आ धमकते हैं। उत्पादन खर्च में भारी वृद्धि होने लगती है। खेतों में जंतुओं की संहारलीला शुरू हो जाती है और प्रजा के शरीर में, अनाज पर छिडकी गई दवाइयों के जहर के प्रसार से विविध रोगों के प्रसार के द्वारा विदेशी हितों वाली फार्मसियों के लिए शोषण की पूरी स्वतंत्रता हो जाती है।

❖ विश्वनाथन् कहते हैं कि...

इण्डियन काउन्सिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च के प्रसिद्ध कृषिशाल्त्री श्री विश्वनाथन् बताते हैं कि, “ट्रेक्टर के उपयोग से पैदावार ज्यादा होती है, यह प्रमाणित नहीं हो पाया है।” अच्छी पैदावार के लिए जमीन को ट्रेक्टर द्वारा ही जुतवाना जरूरी नहीं है; परन्तु योग्य रूप में (अर्थात् तीन बार खड़ी, आडी और फिर से खड़ी इस प्रकार) जुताई होनी चाहिए। फिर उसे चाहे ट्रेक्टर द्वारा जोतें या बैलों द्वारा खींचे जाते हल द्वारा जोतें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ट्रेक्टर द्वारा जमीन को एक ही बार जोती जाए और पासवाले खेत की जमीन हल द्वारा तीन बार जोती गई हो, तो बैलों द्वारा तीन चार जोती गई जमीन में ज्यादा पैदावार होती है।

❖ ट्रेक्टर के आर्थिक और व्यावहारिक पहलू :

ट्रेक्टर के भी आर्थिक और व्यावहारिक पहलू हैं। सर्व प्रथम तो जो काम १० किलो वजन के लोहे के हल से हो सकता है, उसी काम के लिए पाँच टन लोहे के ट्रेक्टर का उपयोग करना, यह वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति का लापरवाही से दुर्ब्यय ही होगा। लोहा और अन्य खनिज, प्रकृति द्वारा राष्ट्र को भेंट की गई एसी संपत्ति है, जिसका सदुपयोग करने के बजाय, बिना सोचे और प्रजा के एक मुट्ठीभर वर्ग के हित साधन के लिए अनावश्यक रूप से दुर्ब्यय किया जाए, तो वैसी संपत्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पुनः पैदा भी नहीं की जा सकती।

❖ **गोबर है अखूट - अपार सम्पत्ति !**

गोबर ही एक ऐसी संपत्ति है कि आप जितना उपयोग करें, उतना दूसरा गोबर पशुसंवर्धन द्वारा चौबीस घंटों में ही और जहाँ जरूरत हो वहीं, फिर पैदा किया जा सकता है। आप उसे खेत में खाद के रूप में डालें, चाहे घर में रसोई बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग में लें या करोड़ों बेघर लोगों के लिए घर बनवाने में विनियोग करें; लेकिन जितना भी उपयोग करें, उतना आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

❖ **खनिज पदार्थों का अमर्याद उपयोग, मानवद्रोह है !**

लकड़ी को जलाने में, मकान बनवाने में या घर का फर्निचर बनवाने में जितना उपयोग करेंगे, उतना वापस पा सकते हैं; लेकिन उसे पैदा करने में बीस साल लग जाते हैं; अतः उसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए।

लेकिन कोयला, लोहा, पेट्रोल एवं अन्य तमाम खनिज धातुओं या पदार्थों का जितना उपयोग करें, उतना उनका जल्दा खत्म होता रहता है। उन्हें दूसरी बार पैदा नहीं किया जा सकता। अतः राष्ट्र की प्राकृतिक संपत्ति पर, समाज का एक छोटा सा स्वार्थी वर्ग ही प्रभुत्व जमाकर लोगों का शोषण करे, यह समुची मानवजाति का द्रोह है। इसे बरदाश्त नहीं करना चाहिए।

अतः कृषि में हल के बदले ट्रैक्टर का उपयोग करना अर्थात् 90 किलो लोहे के बदले पाँच टन लोहे का दुर्व्यय करना। यह राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति के विनाश का, और समग्र कृषि को ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर और जंतुनाशक दवाइयों के उत्पादकों की मेहरबानी पर और अन्त में हमारे साथ सदियों से दुश्मनी करने वाली प्रजाओं की कृपा पर छोड़ देने का एक जबर्दस्त राष्ट्रद्रोही कार्य है। हम डीज़ल विदेशों से मंगवाते हैं और उसके बदले में वे जो मांगें, उन चीजों का निर्यात करना पड़ता है। फिर भी वे चाहें तब हमें डीज़ल देना बंद कर के हमें दबोच सकते हैं, हमें मोहताज बना सकते हैं।

❖ **भ्रामक दलीलें !**

ट्रेक्टर के उपयोग के विषय में केवल एक ही दलील है कि वह तेजी से जमीन को जोतता है। यह दलील निराधार और भ्रामक है। ट्रैक्टर महीने भर में ३० एकड़ जमीन को जोत सकता है।

उतनी ही जमीन को योग्य ढंग से जोतने के लिए, बैलों की तीन जोड़ी चाहिए। एक ट्रैक्टर ढाई लाख रूपयों की लागत का होता है। तीन जोड़ी बैलों की वर्तमान महँगाई के कारण २० से २५ हजार रूपयों की कीमत हो सकती है। हालांकि संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कर के यह कीमत भी छह सौ रूपयों तक नीची लाई जा सकती है।

❖ **बैलों की कीमत में इतनी वृद्धि क्यों हुई ?**

अंग्रेजों ने गोवंश की कत्ल शुरू की, उससे पहले बैलों की एक जोड़ी के छः से बारह रुपये लगते थे। कत्ल बढ़ती गई वैसे कीमत भी बढ़ती गई। दूसरे विश्वयुद्ध के समय अर्थात् ई. स. १९४०-४५ में भारत आई गोरी सेनाओं के लिए पशुओं की जो अभूतपूर्व कत्ल की गई, उससे बैलों की एक जोड़ी की कीमत रु. २०० से ४०० तक बढ़ गई। स्वाधीन भारत में नेहरू शासन ने छोटे बछड़ों और गायों का जो सत्यानाश कर दिया, उससे उनकी आबादी इतनी कम हो गई कि बैलों की एक जोड़ी के रु. १५०० से २००० हो गए और पशुविनाश का वह चक्र, नेहरू की अनुगामी सरकारों के शासन में भी इतनी तेजी से चलता रहा कि जिससे आज बैलों की जोड़ी की कीमत बीस से पचीस हजार रूपयों की हो गई।

❖ **बैल मिल ही न पाए, वैसी शासकीय चाल !**

सरकार की नीतियों और योजनाओं से ऐसा मानना गलत न होगा कि वह ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहती है कि बैल किसी कीमत पर भी मिल ही न पायें और ट्रैक्टरों, फर्टिलाइजरों और जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग किसानों को अनिवार्य तौर से करना ही पड़े। फर्टिलाइजर और

जंतुनाशक दवाइयों के उद्योगों में तो सरकार के स्वयं के स्थापित हित काफी गहरे हैं ।

आज किसान ढाई लाख का ट्रैक्टर खरीदने के बजाय, २५ हजार की बैलों की जोड़ी खरीदना चाहे; फिर भी उन्हें वह मिल न पाए, इसीलिए गायों की, बछड़ों की, बैलों की किसी न किसी बहाने कत्ल करा कर और उनकी संख्या को जल्द से जल्द कम कर देने के लिए, जिंदा जानवरों की भी बेबुनियाद निर्यात व तस्करी जारी है । तो दूसरी ओर से ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर और जंतुनाशक दवाइयों के लिए आसानी से ऋण देने की नीति जारी की गई है ।

❖ **ट्रैक्टर से कृषि का उत्पादन खर्च कितना बढ़ता है ?**

आप पचीस हजार के बैल के बदले ढाई लाख का ट्रैक्टर ले आये, जिससे २ लाख २५ हजार की पूंजी ज्यादा लगाई गई । उतना कर्ज का बोझ बढ़ा । लेकिन यदि बैल लाओ तो खाद के लिए गोबर मुफ्त मिले और उन्हें खिलाने का कोई खर्च न हो क्योंकि अनाज के डंठल खाकर वे काम करते हैं । परंतु ट्रैक्टर लाने के साथ ही डिज़ल लाओ तब ही वह चले; जिससे डिज़ल का खर्च बढ़ा । साथ में फर्टिलाइजर भी लाना पड़े । ३० एकड़ में कम से कम १ लाख रुपयों का फर्टिलाइजर चाहिए । इस प्रकार ये १ लाख रुपये और उसके ब्याज का खर्च बढ़ जाए । बाद में जंतुनाशक दवाइयों का और उसे छिड़कने की मजदूरी का खर्च बढ़े । ये सारे खर्चे अनावश्यक हैं और एक निश्चित वर्ग-विशेष को लाभ दिलाने की दृष्टि से, ऐसा खर्च करने के लिए किसान तो मजबूर बनाकर, सरकार स्वयं भी इस निर्दय शोषण द्वारा अपने स्वार्थ का पोषण कर रही है ।

❖ **प्रजा की सस्ता अनाज देना है ? तो ये हैं उपाय !**

यह तमाम अनावश्यक और निश्चित वर्ग-विशेष को लाभ कराने की दृष्टि से किये जानेवाले खर्च बंद कर दिये जाएं और संपूर्ण गोवंश हत्या बंद

की जाए तो दूसरे विश्वयुद्ध के पहले की कीमत में अर्थात् डेढ़ से दो रुपयों में बीस किलो अनाज आसानी से मिल पाए । ऐसा होने पर औद्योगिक चीज-वस्तुओं के भाव भी कम हो जायें और महँगाई भत्ते चुकाने की कोई जरूरत ही न रहे । परंतु सरकार स्वयं ही भाव कम हों, यह नहीं चाहती; क्योंकि औद्योगिक उत्पादनों के भाव जितने ऊँचे होंगे, व्यापारियों का मुनाफा भी उतना ज्यादा रहेगा । मुनाफा ज्यादा तो आयकर और बिक्री कर भी ज्यादा लगेंगे जो सरकार की अपनी आय है और जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत हैं । इस प्रकार गरीब प्रजा का गला घोट कर ज्यादा आय प्राप्त करने का यह अधम प्रयास है ।

❖ **किसानों को फँसाए जाते हैं !**

एक ओर सरकार कृषि को यांत्रिकता की ओर धकेल कर उत्पादन खर्च बढ़ाती है, तो दूसरी ओर - किसानों को योग्य लाभ मिलना चाहिये, भाव गिर जाएँ तो किसानों को नुकसान पहुँचता है - आदि प्रचार द्वारा उन्हें भड़काती है । अमुक निश्चित कदमों द्वारा अनाज की कीमत ऊँची रखी जाती है; जिससे किसान कृषि के यांत्रिकरण के फँदे में फँसते जाते हैं ।

किसानों को योग्य लाभ प्राप्त हैं ऐसा सरकार यदि सच्चे दिल से चाहती हो तो अनाज के भावों को ऊँचे रखने के मानवद्रोही कार्य करने के बदले, अनाज का उत्पादन खर्च कम करना चाहिए । उत्पादन खर्च कम करने का एक ही उपाय है - कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण की क्रिया को स्थगित कर, संपूर्ण गोवधबंदी कर, कृषि के साथ मानव, पशु और जीवसृष्टि के हितों का संकलन करना चाहिए ।

❖ **आज़ाद किसान की यंत्र का मोहताज न बनाएँ !**

बैल द्वारा कृषि करनेवाला किसान स्वतंत्र है, वह किसी का मोहताज नहीं । लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर लाता है, तो ट्रैक्टर के लिए ऋण देनेवाले सरकारी अधिकारी की, फर्टिलाइजर, जंतुनाशक दवाइयों के उत्पादकों और

ब्यापारियों की, ट्रैक्टर बिगड़ जाए तब उसके मिकेनिक की दया पर जीने के लिए विवश होना पड़ता है ।

❖ ट्रैक्टर से कृषि करना, केवल मूर्खता है !

ट्रैक्टर से जमीन जोतने के बाद यदि वह सिंचाई वाली जमीन न हो और सूखी जमीन हो तो और ज्यादा मुसीबत आती है । यदि बैल द्वारा जमीन जोती गई हो तो २० से ५० मिलिमीटर बरसात होने पर तुरंत बुआई हो सकती है; परंतु यदि ट्रैक्टर द्वारा खेत जोता गया हो तो एक साथ १२५ मिलिमीटर वर्षा न हो तब तक बुआई नहीं हो सकती; क्योंकि जमीन की खुदाई गहराई तक हो जाने के कारण उसकी भीतरी नमी का नाश हो जाने से थोड़ी बरसात होने पर पानी नीचे उतर जाता है और फर्टिलाइजर पानी को सोख लेता है ।

ऐसा भी संभव है कि आसपास के दो खेतों में से एक में हल द्वारा और दूसरे में ट्रैक्टर द्वारा जमीन जोती गई हो और बरसात एक साथ १२५ मिलिमीटर न हो बल्कि दस-बारह दिनों के अंतर से ५०-५० मिलिमीटर होती रहे तो हल द्वारा जोते गए खेत में फसल उगकर एक एक फूट जितनी उपर उठ आई हो तब भी पासवाले दूसरे खेत में जो ट्रैक्टर से जोता गया हो, उसमें बुआई ही न की गई हो अथवा की गई हो तो फसल वृद्धि पर न हो ।

❖ वैसी मान्यता गलत और भ्रामक है !

यहाँ ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि पश्चिम के देश ट्रैक्टर द्वारा कृषि करते हैं, उन्हें कम बरसात की अड़चन नहीं आती ?

उसका जवाब यह है कि पश्चिम के राष्ट्रों में ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर द्वारा ही कृषि होती है, यह मान्यता गलत है । वहाँ अधिकांश कृषि घोड़ों द्वारा की जाती है । लोगों को ठंड से बचाव के लिये गरम कपड़े चाहिए । इसलिए बड़े पैमाने पर भेड़ों का पालन करते हैं, जिनकी लिंडिंगियाँ खाद के

काम आती हैं और ऊन की स्थानिक जरूरतों को पूरी करने के बाद उसका निर्यात करते हैं । इस प्रकार भेड़ों द्वारा वे दूध, खाद और गर्म कपड़े, तीनों चीजें प्राप्त करते हैं । ऊनी कपड़ों के निर्यात द्वारा वे आंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्राप्त करते हैं; जबकि हम भेड़ों की कत्ल कर दूध, खाद और ऊन, तीनों चीजें गँवाते हैं । साथ ही करोड़ों रुपयों के ऊनी कपड़ों की आयात करते हैं । यह कपड़ा भी अपर्याप्त और महँगा होने के कारण लोग ठंडी में बीमार हो जाते हैं ।

समुचे रूस में घोड़ों द्वारा कृषि होती है । और घोड़े उनके यातायात के आधारस्तंभ हैं । हमारे यातायात का मुख्य आधार बैल है । इसी प्रकार जहाँ सिंचाई की सुविधा हो वहाँ कुछ कुछ स्थानों पर ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है । अमेरिका और केनेडा में कृषि का संपूर्ण यांत्रिकरण है । वहाँ और यूरोप के देशों को कोई मुसीबत नहीं रहती; क्योंकि वहाँ जाड़े के दिनों में बेहद बर्फ गिरती है और बर्फ के पिघलने पर सारे खेत पानी से भरेपूरे बन जाते हैं । उपरांत यदि बारिश अच्छी न हो तो नदियों, तालाबों, और नहरों से पानी पा लेते हैं ।

❖ क्या नदियाँ सूख गई हैं ! ?

हमने अपनी अधिकांश नदियों को सूखने दी हैं । साबरमती जैसी गुजरात की महानदी भी ३०-३०- फूट जितनी रेत भर कर सूख गई, तब तक न तो सरकार को चिंता हुई न प्रजा को । संभव है कि नर्मदा का बांध तैयार होते होते नर्मदा भी सूख जाए । जबकि यूरोप और अमरिका में नदियाँ सूख न जाएं, इसकी सावधानी बरती जाती है । बड़ी बड़ी नदियों में से समय समय पर कीचड़ निकाल लिया जाता है । अभी अभी आठ-दस साल पहले ही समग्र फ्रान्स की तमाम नदियों में से कीचड़ निकाला गया था । मिसिसिपी जैसी महाकाय नदियों में से भी कीचड़ निकालने के लिए १२ साल की अरबों रुपयों की योजना का अमल जारी है ।

हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन के पूर्व, तमाम नदियों में से कीचड़ निकाल दिया जाता था; लेकिन ब्रिटिश शासन शुरू होते ही उस कार्य को बंद कर दिया गया। नदियाँ सूख जाएं, ऐसे कदम उठाए गए, जिससे पशु सृष्टि का तेजी से खात्मा हो जाए।

❖ केवल यंत्र-उत्पादकों को लाभ हुआ !

अमरिका और केनेडा में कृषि का संपूर्ण यांत्रिकरण है, यह बात सही है; लेकिन इससे उनके किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, केवल यंत्र-उत्पादकों को लाभ पहुँचा है। अब युद्ध-शस्त्रों के उद्योग और कृषि, अमरिका के अर्थतंत्र के आधारस्तंभ हो गए हैं। अतः विदेशों में अनाज की निर्यात कर, भारी मुनाफा कमाना हो तो यांत्रिकरण हटा कर सस्ता अनाज उगाना होगा और अमरिका इस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा अन्न-उत्पादन महँगा हो तभी अपना सस्ता अनाज अमरिका हमारे सर पर थोप सके। इसीलिए हमें यांत्रिकरण की ओर धकेलने के लिए और अनाज की कमी पैदा हो इसके लिए, सिंचाई की गलत योजनाओं के लिए, त्वरित पशु विनाश के लिए कत्लखाने बनाने के लिये, बड़े बड़े ऋण देने की योजनाओं के पीछे बड़े पैमाने पर और महँगे भाव के दूध के पाउडर और बटर ऑइल की खरीदी करें ऐसी अनिर्दिष्ट शर्त भी होती है।

❖ इतने ट्रैक्टरों के उत्पादन की हमारी शक्ति है ?

यदि हमारे बैल संपूर्णतया खत्म हो जायें तो हमें 9 करोड़ 30 लाख ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी जिनकी किंमत वर्तमान भावों के अनुसार 325 लाख करोड़ रुपये होगी। हाल में हमारे यहाँ 9 करोड़ बैल हैं; ऐसा सरकारी मंत्रालयों का दावा-अंदाज है। यह अंदाज भी शंकास्पद है; फिर भी इसका स्वीकार कर लें तो, वे बैल 50 हजार करोड़ रुपयों की राष्ट्रीय संपत्ति बनी। राष्ट्र की इस विशाल संपत्ति का नाश कर 325 लाख करोड़ रुपये ट्रैक्टरों में लगा देना, साडे छह करोड़ टन स्टील का दुर्व्यय करना और

उसके पीछे अरबों रुपयों का अनावश्यक अन्य खर्च करना, उसमें किस प्रकार का आर्थिक या वैज्ञानिक सयानापन होगा, यह तो हमारे मंत्री ही बता सकते हैं।

इतनी भारी पूंजी लगाने की या इतने ट्रैक्टर बनाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। रूस भी इतने ट्रैक्टर नहीं बना पाया। पेट्रोल की बचत करने और उत्पादन खर्च कम करने के लिए वह कृषि और वाहनव्यवहार दोनों में घोड़ों का उपयोग करता है और जब अमरिका अपने कृषि क्षेत्र में से यांत्रिकरण दूर कर देगा तब पुराने ट्रैक्टर हमारे गल में ऊँचे दामों पर पी. एल. 810 के नाम पर मढ देगा। फर्टिलाइजर का अपना संग्रह-स्टॉक तो उसने हमें प्रति वर्ष ढाई अरब रुपयों की किंमत पर दे ही दिया है।

❖ बाद में हम विदेशों को क्या देंगे ?

अभी तो हम डिज़ल के बदले में गेहूँ, चावल, दालें, पशुओं का मांस, चीनी आदि देते हैं; परंतु जब थोड़े ही वर्षों में तमाम पशुओं का सर्वनाश हो जाएगा, तब हम बदले में क्या दे पायेंगे? उपरांत, कृषि के यांत्रिकरण से अनाज का उत्पादन महँगा होगा, तब भी डिज़ल के बदले में तो वे (डिज़ल देनेवाले देश) जिस कीमत पर माँगे, उसी कीमत पर देना होगा और उस घाटे के पूर्ति के लिए, यहाँ के बाजार में उसकी किंमत बेहद बढ़ानी होगी। जैसे चीनी हम विदेशों में कम दामों पर देते हैं और हमारे देश के बाजार में 95 से 96 रुपयों किलो के हिसाब से बेचते हैं।

❖ ट्रैक्टर करोड़ों रुपयों की संपत्ति की बरबाद कर देते हैं।

एक ट्रैक्टर खरीदें तो छः बैल निकम्मे हो जाते हैं, उनकी कत्ल हो जाती है। बाद में पेट्रोल से चलने वाले यंत्र या ट्रैक्टर या वाहन का उपयोग एक साल तक करें तो उसके एक साल के पेट्रोल या डिज़ल के लिए 70 और पशुओं की कत्ल कर उसके मांस की निर्यात करनी पडती है; क्योंकि डिज़ल बेचनेवाले अरब देश, डिज़ल के बदले में मांस की माँग

करते हैं। ७० पशुओं की कल्ल करें यानी औसतन १४० हजार रुपयों की राष्ट्रीय पूंजी की बरबादी हुई। उनके दूध, खाद, ऊन में से हर वर्ष मिलनेवाली दूसरी लाखों रुपयों की आमदानी को गँवाते हैं। इस प्रकार जमीन पर घडघड़ाहट से चलनेवाला ट्रैक्टर, अपने चक्कों के नीचे राष्ट्र की करोड़ों रुपयों की संपत्ति को रौंदता-कुचलता हुआ आगे बढ़ता है।

❖ पुनः युरोपियन प्रभुत्व जमाएँगे ?

आज तो किसानों को लाभ करा देने का लालच देकर, उनके मतों द्वारा, सरकार गद्दी सम्हाले रखने की भारी कोशिशें कर रही हैं; लेकिन डिज़ल की आयात के बदले में और केरोसीन और ट्रैक्टरों की आयात के बदले में देने के लिए हमारे पास जब बाकी कुछ बचा न होगा तब, १५० वर्ष पूर्व सहायता की मीठी लालच देकर जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा जमा दिया, उसी प्रकार दी हुई ऋण सहायता की वसूली के लिए विश्व बैंक की शेर होल्डर सत्ताएँ, अपना अपना कर्ज वसूल करने के लिए इस देश के महत्त्व के स्थलों और परियोजनाओं का कब्जा हस्तगत कर लें, तो कोई आश्चर्य न होगा।

❖ गोलियों की बौछार होगी।

उपरांत, संपूर्ण यांत्रिकरण के लिए आज जो ढ़ाई से पाँच एकड़ जमीनवाले ८० प्रतिशत किसान हैं, उन्हें दूर करने होंगे। आर्थिक उत्कर्ष के नाम पर हरिजनों को और आदिवासियों को ढ़ाई ढ़ाई एकड़ जमीन दी जाती है। उनसे भी वे निष्फल रहे हैं ऐसा कह कर, और राष्ट्रीय जरूरतों के बहाने, उन जमीनों को वापस हड़प कर, उन्हें बड़े पैमाने के विशाल यांत्रिक खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर करें तो कोई आश्चर्य न होगा। रूस और चीन में ऐसा हो गया है। समग्र प्रजा पर गुलामी थोप दी गई थी और ऐसा करने के बाद रूस में एक करोड़ किसानों को (मेमोईर्स आफ वार : चर्चिल) और चीन में तीन करोड़ किसानों को (कोम्युनिस्ट

चाईना, ले. चंद्रशेखर) गोलियों से खत्म कर दिए गए थे। जो किसान नेता आज किसानों के हितों की बाँग पुकारते फिरते हैं, वे स्वार्थी कूटनीतिज्ञों के प्यादे बन कर भाव बढ़ाने की, रोकड़ पैदावार बढ़ाने की, कृषि-उत्पादनों के निर्यात करने की माँगें पेश कर प्रदर्शन करते हैं, रैलियों का आयोजन करते हैं, उन्हें पता न होगा कि एक दिन उन्हें भी गोलियों से इसी प्रकार उड़ा दिया जायेगा।

❖ विनाशक आंधी आ रही है।

५० साल में हम ६९६७ रेल इंजिन, ३९,२५७ मुसाफिरों के लिए रेल के डिब्बे (उनमें से कई तो आयात किए हैं) और २,७२,१२७ वेगन बना पाए हैं (इण्डिया, १९९९)। तब एक करोड़ ट्रैक्टर बनाने में कितने साल लगेंगे? हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं, इतना स्टील भी नहीं। इसलिए बिना इनकी आयात किए और कोई चारा ही नहीं। सरकार ऐसा आत्महत्यापूर्ण कदम क्यों उठा रही है? प्रजा को अपनी दैनंदिन यातनाओं की पीड़ा में यह सब कुछ समझने की सूझबूझ नहीं रही। एक जबर्दस्त विनाशक आंधी हमें निगल जाने के लिए आगे बढ़ती आ रही है। इसका परिणाम क्या आएगा? प्रजा का विनाश या इन षड़यंत्रों के आयोजक नालायकों का, यह कहना मुश्किल है।

लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में श्रद्धा हो, हमारे हजारों वर्ष पुराने इतिहास पर भरोसा हो तो हम हिंमत से कह सकेंगे कि आखरी विनाश उन असुरों का ही होगा।

इस महान आर्य प्रजा के इर्दगिर्द विनाश का तांडव चकरा रहा है। उससे निराश न हों और एकमात्र मोक्षलक्षी धर्म की शरण स्वीकारें।

आर्य भूमि कभी संतविहीन नहीं रही है और न होगी। और यह महान आर्य प्रजा सच्चे संतो के आशीर्वाद पाकर आनेवाली आंधी को जरूर चीर कर पार निकल जायेगी।

